महिला सषक्तिकरण : सतत् विकास की कुँजी

अजय गौतम
प्रमोद कुमार
जया ओझा
अर्चना वरदान
सुमन सिंह
विधार्थी
आईएफटीएम विश्वविद्यालय मुरादाबाद

सार (Abstract)

पर्यावरण प्रबंधन और विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिये सतत् विकास में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये दोहरा तर्क है। सर्वप्रथम यह है कि महिला और पुरूष के बीच समानता – समान अधिकार, अवसरों और जिम्मेदारियाँ मानवाधिकार और सामाजिक न्याय का मामला है। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं और पुरूषों के बीच अधिक समानता भी एक पहली शर्त है। महिलाओं और पुरूषों दोनों की जरूरतों और प्राथमिताओं पार ध्यान दिया जाना चाहिए न केवल एक मामले के रूप में सामाजिक न्याय की। क्योंकि वे विकास प्रक्रियाओं को समृद्ध करने के लिये आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य महिला सशक्तीकरण व सतत् विकास की अवधारणा को समझाना है।

शव्दाबली (key words):– महिला सषक्तिकरण, सतत् विकास, आर्थिक वातावरण

परिचय (Introduction):–

महिलाओं ने पिछले दशकों में पुरूषों की तुलना में आर्थिक और सामाजिक विकास में अधिक लाभ उठाया है। फिर भी महिलायें दुनिया के सबसे कमजोर समूहों के रूप में प्रतिष्ठित है ; क्योंकि इनकी पहुँच संसाधनों और बिजली तक पुरूषों के प्रति अत्यधिक कम है। लैंगिक समानता अपने आप में एक लक्ष्य है, लेकिन यह समानता आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। सभी प्रकार की गतिविधियों में महिलाओं और पुरूषों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। जिससे यह सुनिश्चित किया जाये कि संसाधनों के आवंटन में महिलाओं और पुरूषों के हितो को ध्यान में रखा जाए।

1992 में, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCEO) ने पर्यावरण और विकास पर महिलाओं के योगदान की मान्यता और सतत् विकास में उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए। महिला सशक्तीकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। महिला सशक्तीकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

सषक्तिकरण की अवधारणा (The Concept of Empoerment)-: सशक्तिकरण को "बहुआयामी सामाजिक प्रक्रिया" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो लोगों को अपने स्वंय के जीवन पर नियंत्रण पाने में सहायता करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न कर उन्हें सशक्त बनाती है।

महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य है कि महिलाएं अपने जीवन पर अधिक शक्ति और नियंत्रण प्राप्त करें। आसान शब्दों में कहा जाए तो महिला सशक्तिकरण से महिलाएँ शक्तिशाली बनती है। जिससे वह अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वंय ले सकती है और परिवार और समाज में भली प्रकार से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण में इतनी शक्ति होती है कि वह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में परिवर्तन ला सकता है। विकास की मुख्यधारा में महिलाओं को लाने के लिये भारतीय सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलायी गयी है, क्योंकि समाज में किसी समस्या से वह पुरूषों की तुंलना मे बेहतर ढंग से निपट सकती है। "लैंगिक अंतर" को कम करने और लैंगिक समानता को बनाए रखने से पहले महिलाओं और पुरूषों के बीच खेल का मैदान समान बनाने के लिए महिलाओं को "सशक्त" होने की आवश्यकता है।

सतत् विकास की अवधारणा (The Concept of sustainable development)-: सतत् विकास को अनेक तरह से परिभाषित किया गया है, लेकिन ज्यादातर उद्धत परिभाषा हमारे भविष्य से है, जिसे ब्रुन्डलैंड रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है :–

सतत् विकास "वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करता है।" यह महिलाओं और पुरूषों दोनों की जरूरतों को पूरा करता है। लैंगिक असमानता दुनिया में असमानता के सबसे व्यापक रूप में है और इसे दूर किये बिना सतत् विकास हासिल नहीं किया जा सकता है।

सतत् विकास को तीन अंतर संबंधित स्तंभों पर के रूपों में माना जाता है – आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण। और चौथा स्तंभ – सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण है। इस विचार की दृष्टि से इन क्षेत्रों को अलग–थलग किए बिना अलग–थलग कर दिया जा सकता है। यह एक पूरी श्रृखंला के द्वारा ये स्तभ एक दूसरे को सुदृढ़ करते है और सतत् विकास लाते है। यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक विकास के रूप में अकेले महिला सशक्तिकरण और लैगिंक समानता की अवधारणा न करें, लेकिन आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के रूप में क्रॉस–कटिंग मुद्दा है। विश्व विकास और पर्यावरण विकास द्वारा सतत् विकास को विकास के रूप में परिभाषित किया गया है।

महिलाओं को सतत् विकास के लिए सषक्त बनाना (Empowering women for sustainable development)-: महिला सशक्तीकरण एक प्रक्रिया है और सतत् विकास सामाजिक – सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल करता है और इस प्रकार व्यापक क्षेत्र को शामिल करता है। अब तक लैंगिक मुद्दों को सामाजिक मुद्दे के रूप में निपटाया गया है। इस विकास के लक्ष्यों में गरीबी में कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। यूएनडीपी लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को गरीबी में कमी, लोकतांत्रिक शासन, संकट निवारण और पुन: प्राप्ति और पर्यावरण और सतत् विकास में वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयासों को समम्बित करता है। यूएनडीपी लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण पर न केवल मानवाधिकारी के रूप में ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि इसलिये भी कि वे विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और सतत् विकास के लिए एक मार्ग है।

महिला सषक्तिकरण के लिए दिए गये अधिकार (The Rights granted to women empowerment)-:

1) समान वेतन का अधिकार (Right to equal pay):– समान परिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

2) कार्य–स्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून (Law against harassment in the workplace)-: यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको कार्य–स्थल पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए है ; जिसके तहत कार्यस्थल पर यौन शोषण के शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जाँच लंबित रहने तक 90 दिन का पैड लीव दी जाएगी।

3) कन्या भ्रूण का हत्या के खिलाफ अधिकार (Right against female feticide)-:भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार "जीने के अधिकार का अनुभव करने दें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक लिंग चयन पर रोक अधिनियम (PCPNOT) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।

4) संपत्ति पर अधिकार (Right to property)-: हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरूष दोनों का बराबर का अधिकार है।

5) गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार (Right to dignity and decency)-: किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जाँच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)-:

अंत में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, आर्थिक, सामाजिक , सांस्कृतिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को एकीकृत और समग्र करने की आवश्यकता है। लैंगिक दृष्टिकोण से, लैंगिक समानता को केवल सामाजिक–सांस्कृतिक रूप में नही माना जाए, बल्कि इसे आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में विचार करने के लिये स्थायी विकास को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता को क्रॉस–कटिंग उद्देश्य के रूप में माना जाता है। महिलाओं को उनके अधिकारों से तथा महिला सशक्तीकरण के लिये दिये गये अधिकारों से अवगत कराना अनिवार्य है क्योंकि महिला सशक्तीकरण ही सतत् विकास के लिये महिलाओं को सशक्त बनाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography):–

- India. Lok Sabha Secretariat. Standing Committee on Social Justice and Empowerment. Reports. New Delhi:
- Lok Sabha Secretariat . India. Ministry of Social Justice and Empowerment. Annual report. New Delhi: The author
- Kadekodi, Gopal K., Kanbur, Ravi and Rao, Vijayendra, eds. Development in Karnataka: challenges of governance, equity and empowerment. New Delhi: Academic Foundation, 2008. 432p.
- Kapadia, K. ed. The violence of development: the political economy of gender. London: Zed Books, 2002. 300p.